20रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(35)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /~~2018~~ निगरानी – 5528/2018/भोपाल/भू.रा.

रूकसाना बेवा स्व. श्री शमशुल हसन निवासी मकान क्रमांक 31, पारस नगर, करोंद रोड, भोपाल, जिला भोपाल (म.प्र.)

——— आवेदिका

10.9.18

-9-18

10-9-18

बनाम

म. प्र. शासन

——— अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्र.क्र. 550/अपील/2010–11 के आदेश दिनांक 24.08.2017 के विरूद्ध निगरानी जानकारी दिनांक 13.08.2018 से अवधि अन्दर प्रस्तुत।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5528/2018/भोपाल /भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-10-2018	आवेदक की ओर से श्री एस.पी. धाकड़, अभिभाषक एवं अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अभिभाषक श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित । ग्राह्यता पर विचार किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 24-8-17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपर आयुक्त द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि कलेक्टर द्वारा पारित निगरानी आदेश के विरूद्ध सुनवाई का अधिकार उन्हें नहीं है । नवीन संशोधित म.प्र. भू-राजस्व संहिता दिनांक 25-9-2018 से प्रभावशील हो चुकी है, जिसके अंतर्गत कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी सुनने का अधिकार मंडल को नहीं होकर आयुक्त को है । अत: आवेदक को सलाह दी जाती है कि वह पुन: आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करें । यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि यदि आवेदक द्वारा कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जाती है तो नवीन संशोधित संहिता के प्रावधानों के अनुसार आयुक्त द्वारा विधिवत विचार किया जाये । अध्यक्ष	